[2018] 13 एस. सी. आर 313

प्रभात रंजन सिंह और एएनआर।

वी.

आर. के. कुशवाह और ओआरएस।

(2018 की सिविल अपील No.9176)

सितंबर 07,2018

[मदन बी. लोकुर, एस. अब्दुल नजीर और

दीपाक गुप्ता, जे. जे.]

सेवा कानून-वरिष्ठता-भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान

मैनुअल (आई. आर. ई. एम.)-आर. 327-341 – सिग्नल इंजीनियरों की भारतीय रेलवे सेवा-प्रत्यर्थी-प्रत्यक्ष भर्ती ने रेलवे में पदोन्नत अधिकारियों को दी गई वरिष्ठता को चुनौती दी, क्योंकि पदोन्नत अधिकारियों को सभी प्रत्यक्ष भर्तियों से वरिष्ठ रखा गया था-प्रत्यक्ष भर्ती ने अनुरोध किया कि प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता मांग भेजने की तारीख से तय की जानी चाहिए यानी रिक्तियों के लिए 23.10.2007

वर्ष 2009 से संबंधित-कैट द्वारा याचिका खारिज कर दी गई थी जिसमें कहा गया था कि

तर्क दिया कि रेलवे की कार्रवाई ने कैट द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किया और कैट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की, जिसे सीधे भर्ती द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दिया गया-सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित रिट याचिका आयोजित की गईः भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 के अवलोकन पर यू/सी. एल. बनाया गया। 3 संविधान के Art.77 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि रेलवे को डी. ओ. पी. टी. को आवंटित व्यवसाय के दायरे से विशेष रूप से बाहर रखा गया है, चाहे वह पदों के वर्गीकरण के लिए हो, मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों आदि की भर्ती और इस तरह डी. ओ. पी. टी. रेलवे पर बाध्यकारी परिपत्र जारी नहीं कर सकता था-इसके अलावा, आई. आर. ई. एम. के पास वैधानिक बल है क्योंकि वे अनुच्छेद के प्रावधान के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए जाते हैं। 309 संविधान-नियमों में संशोधन करने और उन्हें संविधान के अनुरूप लाने के लिए रेलवे की कार्रवाई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. ए. टी. का निर्णय 'डी. आई. टी. एस.' को वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए निर्धारक कारक के रूप में हटाकर और 'आवंटन के वर्ष' को इस रूप में प्रस्तुत करके

वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए मानदंड किसी भी तरह से उल्लंघनकारी या कैट के आदेश के खिलाफ नहीं था-जहां तक मांग भेजने की तारीख से सीधे भर्ती की वरिष्ठता का संबंध है,

एन. आर. परमार के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि किसी विशेष भर्ती प्रक्रिया द्वारा पदों को भरने के लिए मांग की तारीख को उस वर्ष के रूप में लिया जा सकता है जिसमें व्यक्तियों को वरिष्ठता दी जा सकती है।

उस प्रक्रिया के तहत भर्ती-हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि यह केवल तभी लागू होगा जब भर्ती वर्ष रिक्ति के वर्ष के समान हो-तत्काल मामले में, सीधी भर्तियों की मांग वर्ष 2007 में भेजी गई थी, रिक्तियां वर्ष 2009 से संबंधित थीं और इसलिए, कैट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि सीधी भर्तियां वर्ष से पदोन्नति के हकदार नहीं थीं।

2007 - भारत का संविधान-कला। 77 और 309-भारतीय रेलवे स्थापना संहिता-भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961-सी. एल. 3 .

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

रेलवे विशेष रूप से परिपत्र को स्वीकार करता है या इसे लागू करता है, तो ऐसा परिपत्र लागू हो सकता है लेकिन यदि परिपत्र नहीं बनाया गया है विशेष रूप से लागू होने पर जहां तक रेलवे और उसके कर्मचारियों का संबंध है, इसका कोई बल नहीं है। [पैरा 20] [326-एच; 327-ए-बी]

2. उसी व्यवसाय आवंटन नियम, 1961 में रेल मंत्रालय को व्यवसाय आवंटित करते समय इसे सभी मामलों से निपटने की शक्ति दी गई है, जिसमें निम्नलिखित से संबंधित मामले भी शामिल हैं -

राजस्व और व्यय। इसलिए, रेल मंत्रालय प्रभात रंजन सिंह बनाम।

अपने कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तें निर्धारित करने की शक्ति रखता है। [पैरा 21] [327-सी]

3. रेल मंत्रालय के पास संहिताबद्ध नियमों का एक समूह है जिसे भारतीय रेलवे स्थापना संहिता (आई. आर. ई. सी.) के रूप में जाना जाता है। जहां तक आई. आर. ई. सी. का संबंध है, इसे संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत अधिसूचित किया जाता है और यह वैधानिक प्रकृति का है। व्यवसाय आबंटन नियम, 1961 के खाली पढ़ने से यह स्पष्ट है कि सेवा की शर्तें

रेलवे के कर्मचारी रेलवे द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं जिसमें न केवल आई. आर. ई. सी. बल्कि भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान नियमावली (आई. आर. ई. एम.) भी शामिल होगी। यहां तक कि आई. आर. ई. एम. भी संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत जारी किए जाते हैं और इस तरह उनके पास वैधानिक बल होता है। [पारस 22,23] [327-डी-जी]

4. जहां तक मांग भेजने की तारीख से सीधी भर्तियों की वरिष्ठता का संबंध है, एन. आर. में निर्णय।

परमार का मामला उन स्थितियों से निपटता है जहां प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति की प्रक्रिया में अत्यधिक लंबा समय लगता है और तत्कालीन मौजूदा नियमों के अनुसार, इस तरह से नियुक्त/पदोन्नत व्यक्तियों को उनके शामिल होने की तारीख से वरिष्ठता मिलेगी। इस न्यायालय ने पाया कि यह नियुक्ति की आकस्मिक तिथि के कारण मनमानेपन का कारण बन सकता है। कुछ मामलों में, एक विशेष तरीके से भर्ती की प्रक्रिया बहुत शुरू हो जाएगी।

पहले लेकिन बाहरी कारणों से, एक मोड द्वारा चयन दूसरे मोड द्वारा बहुत तेज़ और धीमा होगा। इसलिए,

इस विसंगति को समाप्त करने और मनमानेपन को कम करने के लिए, इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि पदों को भरने के लिए मांग की तारीख

विशेष भर्ती प्रक्रिया को उस वर्ष के रूप में लिया जा सकता है जिसमें उस प्रक्रिया के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों को वरिष्ठता दी जा सकती है। हालाँकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि यह केवल तभी लागू होगा जब भर्ती वर्ष रिक्ति के वर्ष के समान हो। यह. यह स्पष्ट है कि न तो पदोन्नतियों और न ही प्रत्यक्ष भर्तियों को उस वर्ष से वरिष्ठता दी जा सकती है जब ऐसी रिक्तियां मौजूद भी नहीं हैं। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि प्रशासनिक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया रिक्ति वर्ष के दौरान ही शुरू की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में हालांकि मांग वर्ष 2007 में भेजी गई थी, वर्ष 2009 से संबंधित रिक्तियों और इसलिए, कैट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया [2018] 13 एस. सी. आर.

कि प्रत्यक्ष भर्तियां वर्ष 2007 से पदोन्नति के हकदार नहीं थे। [पारस 29 और 31] [330-एच; 331-डी]

5. प्रत्यर्थी-प्रत्यक्ष भर्ती ने तर्क दिया कि रेलवे ने आई. आर. ई. एम. नियमों 327-341 में संशोधन करके उनके द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किया है।

कैट और इस प्रकार कैट के आदेश की अवमानना की। कैट ने केवल आदेश दिया था कि 'डीआईटीएस' के निर्धारण के कारण उत्पन्न होने वाली मनमानेपन को प्रासंगिक मानदंड के रूप में 'आवंटन का वर्ष' निर्धारित करके हटा दिया जाए। यह विचार था कि आई. आर. ई. एम. डी. आई. टी. एस. के आधार पर अंतर वरिष्ठता का निर्धारण स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण और मनमाना था। कैट का मानना था कि पदोन्नति के वर्ष को निर्धारित करने के लिए 'डीआईटीएस' के बजाय वरिष्ठता का निर्धारण आई. ए. एस. नियमों के सिद्धांत का पालन करते हुए 'आवंटन के वर्ष' के संदर्भ में किया जाएगा। कैट ने रेलवे के खिलाफ अवमानना याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एन. आर. परमार के मामले के संदर्भ में पूरी चर्चा 'डीआईटीएस' के कारण मनमानेपन को हटाने के बारे में थी और

इसे रिक्ति वर्ष/आवंटन वर्ष की अवधारणा के अनुरूप लाना जो समस्या को दूर करता है। इस प्रकार सी. ए. टी. ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने इस मुद्दे से बिल्कुल भी नहीं निपटा है कि क्या उसे पदोन्नत किया जाता है।

वे वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए 5 साल की सेवा का महत्व दिए जाने के हकदार नहीं थे। यह सवाल न्यायाधिकरण के समक्ष कभी नहीं उठा और इस तरह रेलवे ने वरिष्ठता तय करने के लिए निर्धारण कारक के रूप में 'डी. आई. टी. एस.' को हटाकर और 'आवंटन वर्ष' को मानदंड के रूप में पेश करके नियमों में संशोधन करके उन्हें सी. ए. टी. के फैसले के अनुरूप लाने के लिए कार्रवाई की। वरिष्ठता का निर्धारण किसी भी तरह से उल्लंघनकारी या कैट के आदेश के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में, उक्त आदेश पूरी तरह से कैट के आदेश के अनुरूप है। [पैरा 31,32] [331-डी-एफ, एच;

332 - ए-डी]

भारत संघ बनाम। एन. आर. परमार और अन्य। (2012) 13 एससीसी

340 [2012] 13 एस. सी. आर. 555-निर्भर।

ए. के. निगम बनाम सुनील मिश्रा (1994) पूरक। 2 एस. सी. सी. 245 [1994] 1 पूरक। एससीआर 127; पी. सुधाकर राव और अन्य। वी. यू. गोविंदा राव और अन्य। (2013) 8 एससीसी 693:

[2013] 13 एस. सी. आर. 540 संदर्भित है।

प्रभात रंजन सिंह बनाम। आर. के. कुशवाह

मामला कानून संदर्भ

[2012] 13 एससीआर 555

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

[1994] 1 पूरक। एससीआर 127

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[2013] 13 एससीआर 540

पै

रा 33

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय/मौलिक न्यायनिर्णयः सिविल अपील

2018 का सं. 9176।

2016 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार संख्या 10669 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 12.05.2017 से

के साथ

2017 की एसएलपी (सी) संख्या 22444 में 2018 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 717, एसएलपी (सी) संख्या 22444 में 2018 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 732

2017 , एस. एल. पी (ग) 2018 का No.4144 और टी. सी. (ग) 2018 की सं. 52।

मनिंदर सिंह, ए. एस. जी., पी. एस. पटवालिया, गुरु कृष्ण कुमार, सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , विकास मेहता, सुश्री अनुश्री मेनन,

सुश्री शशि एम. कपिला, सुश्री हर्षिका वर्मा, प्रवेश शर्मा, निखिल रोहतगी, शशांक खुराना, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री सामतेन डोमा, सुश्री प्रज्ञा बघेल, आर. बालासुब्रमण्यम, सुश्री सुषमा वर्मा,

सुश्री कनिका सरन, राज बहादुर यादव, प्रभास बजाज, श्रीमती अनिल कटियार, सुभ्रो सान्याल, गौरव गोयल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था दीपाक गुप्ता जे. 1. से उत्पन्न होने वाली अपील में अनुमति दी गई

एस. एल. पी. (सी) सं. 22444 2017 से।

2. पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच कभी न खत्म होने वाले युद्ध में यह एक और लड़ाई है।

3. भारतीय रेलवे में, सिग्नल इंजीनियरों की भारतीय रेलवे सेवा (संक्षेप में 'आई. आर. एस. एस. ई.') के रूप में जानी जाने वाली एक सेवा है। यह एक समूह-एक सेवा। सेवा में भर्ती दो तरीकों से होती है- 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत प्रवर्तक सेवाओं में समूह-बी अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा। प्रत्यक्ष भर्तियों का चयन एक के माध्यम से किया जाता है

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा (संक्षेप में 'यूपीएससी')।

8] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. 23.10.2007 पर, रेल मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग को समूह-ए सेवा में रिक्तियों को भरने के लिए एक अनुरोध जारी किया। यह परीक्षा वर्ष 2008 में आयोजित की जानी थी और इस भर्ती को इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2008 के रूप में जाना जाता था। श्री आर. के. कुशवाहा,

इसके बाद 'प्रत्यक्ष भर्ती' के रूप में संदर्भित, उक्त परीक्षा में सफल रहा। उन्हें विधिवत चुना गया और 14.12.2009 पर सेवा में शामिल हो गए। भारतीय रेलवे के सिग्नल और दूरसंचार विभाग की समूह-बी सेवा में काम करने वाले कुछ अधिकारी थे -

12.08.2014 दिनांकित आदेश के माध्यम से 08.05.2014 से समूह-ए सेवा में पदोन्नत किया गया। इन अधिकारियों को भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान नियमावली के नियम 334 (संक्षेप में 'आई. आर. ई. एम.'), Vol.1 के संदर्भ में समूह-बी सेवा में प्रदान की गई 5 साल की सेवा के महत्व का लाभ दिया गया था और वरिष्ठता के निर्धारण के लिए उनकी प्रासंगिक तिथि 08.05.2009 निर्धारित की गई थी।

5. 87 पदोन्नती अधिकारियों की वरिष्ठता तय करने वाले 12.12.2014 दिनांकित आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

" 2.सभी 87 अधिकारियों को इंजीनियरिंग के कनिष्ठ सबसे प्रत्यक्ष भर्ती (डी. आर.) आई. आर. एस. एस. ई. अधिकारी के नीचे वरिष्ठता सूची में रखा जाएगा।

सेवा परीक्षा (ई. एस. ई.) 2007 बैच (आई. डी. 1 में शामिल होने की सबसे शुरुआती तारीख), और 2008 बैच की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के सबसे वरिष्ठ आई. आर. एस. एस. ई. अधिकारियों से ऊपर (आई. डी. 2 में शामिल होने वाले सबसे पहले), जिनकी अंतर-वरिष्ठता पहले ही हो चुकी है।

प्रसारित "।

6. श्री आर. के. कुशवाहा, एक प्रत्यक्ष भर्ती, ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पटना पीठ के समक्ष ओ. ए. संख्या 050/00260/2015 दायर की। संक्षिप्त 'द कैट') ने पदोन्नत अधिकारियों को दी गई वरिष्ठता को चुनौती देते हुए दिनांक 12.12.2014 का आदेश दिया। आदेश के माध्यम से याचिका का निपटारा किया गया

दो महीने की अवधि। अध्यक्ष ने दिनांक 09.06.2015 के भाषण आदेश के माध्यम से श्री आर. के. कुशवाहा की मांग भेजने की तारीख से सीधी भर्तियों की वरिष्ठता तय करने की याचिका को खारिज कर दिया। अध्यक्ष के अनुसार, आई. आर. एस. एस. ई. सहित आठ संगठित रेलवे सेवाओं के जूनियर स्केल-ए अधिकारियों की वरिष्ठता आई. आर. ई. एम. खंड-1 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में तय की जानी थी, जिसे आई. आर. ई. एम. के अनुच्छेद 309 के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त थी।

भारत का संविधान।

प्रभात रंजन सिंह बनाम। आर. के. कुशवाह [दीपाक गुप्ता, जे.]. श्री आर. के. कुशवाहा ने इसके बाद ओ. ए. के रूप में एक नया ओ. ए. दाखिल किया।

2015 में निम्नलिखित राहतों का दावा किया गयाः

8.1 ताकि आपके स्वामी कृपया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 09/12.06.2015 के विवादित आदेशों को रद्द करने और दिनांक 12.12.2014 के आदेश के साथ अलग करने के लिए प्रसन्न हो सकें।

प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित किया गया जैसा कि अनुलग्नक में निहित है

ए/8 और ए/4 क्रमशः जो एन. आर. परमार में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विपरीत हैं।

मामला और डी. ओ. पी. टी. ओ. एम. दिनांकित 04.03.2014 जैसा कि ऊपर संदर्भित है।

2 कि आपके स्वामी आगे उत्तरदाताओं को वरिष्ठता सूची को नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दे सकते हैं

एन. आर. परमार मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत और डी. ओ. पी. टी. ओ. एम. दिनांक 04.03.2014 जैसा कि संदर्भित है बिना किसी और देरी के ऊपर।

3 कि उत्तरदाताओं को भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान नियमावली खंड-1 में शुद्धिपत्र/संशोधन/सुधार पर्ची जारी करने का निर्देश दिया जाए, जो अब डी. ओ. पी. टी. ओ. एम. दिनांक 04.03.2014 के नए दिशानिर्देशों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाए।

अनुलग्नक ए/11 जो एन. आर. परमार मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत/कानून पर आधारित है।

प्रत्यक्ष के बीच अंतर-से-वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में

भर्ती और पदोन्नति अधिकारी।

4 कि उत्तरदाताओं को आगे निर्धारित सिद्धांत के अनुसार उनकी वरिष्ठता के आधार पर जे. ए. ग्रेड में पदोन्नति सहित आवेदक के पक्ष में सभी परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एन. आर. परमार मामले में और डी. ओ. पी. टी. ओ. एम. दिनांक 04.03.2014 जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है।

. 5 कार्यवाही की लागत सहित कोई अन्य राहत या राहत

आवेदक के पक्ष में अनुमति दी जा सकती है। 99 '

. यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस ओ. ए. में किसी भी प्रवर्तक को पक्षकार नहीं बनाया गया था। दलीलें सुनी गईं और मामले में आरक्षित नहीं रखा गया था। इसके बाद, श्री प्रभात रंजन, एक प्रवर्तक हैं और हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व मध्य पदोन्नति अधिकारी संघ के महासचिव भी हैं।प्रलोभन के लिए आवेदन।

आवेदन 016 पर लिया गया था और इसकी अनुमति दी गई थी। फैसला जो [2018] 13 एस. सी. आर. था।

घोषणा के लिए आरक्षित रखा गया था और उसी दिन, कैट ने सभी पक्षों को सुना और फिर से निर्णय सुरक्षित रखा। हालाँकि, पक्षों को लिखित तर्क दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी। सी. ए. टी. ने अपने दिनांक 03.05.2016 के आदेश के अनुसार ओ. ए. को आंशिक रूप से अनुमति दी। उसने प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया।

श्री आर. के. कुशवाहा ने कहा कि प्रत्यक्ष भर्तियां उस तारीख से वरिष्ठता प्राप्त करने के हकदार थे जिस दिन प्रत्यक्ष रिक्तियों को भरने के लिए मांग भेजी गई थी, इस आधार पर कि भारत संघ बनाम संघ का मामला। एन. आर. परमार और Ors.[1] उतना लागू नहीं था जितना कि मांग के वर्ष का संदर्भ हमेशा के संदर्भ में होता है

रिक्त वर्ष। यदि रिक्तियों को पहले से ही अधिसूचित किया जाता है और मांग की जाती है रिक्तियों के उत्पन्न होने से पहले की गई, प्रत्यक्ष भर्तियां मांग की तारीख से वरिष्ठता का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती हैं या दावा नहीं कर सकती हैं।

9. प्रत्यक्ष भर्ती का मामला यह था कि एन. आर. परमार के मामले (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत को मान्यता दी गई थी और लागू किया गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा (संक्षेप में 'डी. ओ. पी. टी.') अपने परिपत्र दिनांक 04.03.2014 में। उनके अनुसार, चूंकि मांग 23.10.2007 पर जारी की गई थी, इसलिए उन्हें उक्त तिथि से वरिष्ठता दी जानी चाहिए। कैट ने माना कि सीधी भर्ती का मामला कि उसे 23.10.2007 से वरिष्ठता दी जानी चाहिए, स्वीकार्य नहीं है।

10. हमारे विचार में, वास्तव में, अपने ओ. ए. में सीधी भर्ती द्वारा दावा की गई यह एकमात्र राहत थी और मामला वहीं समाप्त होना चाहिए था।

हालांकि, कैट ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 09.06.2015 पर पारित बोलने वाले आदेश की जांच की और डीओपीटी के परिपत्र दिनांक 04.03.2014 और एन. आर. परमार के मामले (उपरोक्त) में पारित इस अदालत के फैसले के संदर्भ में इसकी जांच की।

11. रेलवे के साथ-साथ वर्तमान अपीलार्थी का मामला,

ओ. ए. में हस्तक्षेप करने वाला यह था कि उनकी वरिष्ठता आई. आर. ई. एम. खंड-1 के संदर्भ में तय की जानी थी, जिसमें यह प्रावधान था कि पदोन्नति पाने वाले

नियम 327 से 341 के संदर्भ में अधिकतम 5 वर्ष का महत्व दिया जाना था। सभी नियमों को निकालना आवश्यक नहीं है। यह ध्यान रखना पर्याप्त होगा कि नियम 328 में प्रावधान किया गया है कि भारतीय रेलवे में विभिन्न समूह-ए सेवाओं में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता 'समय पैमाने में वृद्धि की तारीख (डीआईटीएस)' के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसे कुछ निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जाना है। प्रत्यक्ष नियुक्ति के मामले में, यू. पी. एस. सी. द्वारा आयोजित एक परीक्षा के अनुसार, डी. आई. टी. एस. की गणना नियमित पैमाने पर आय वृद्धि शुरू होने की तारीख से की जानी है। नियम 334 में प्रावधान है कि मामले में

' (2012) 13 एस. सी. सी. 340 प्रभात रंजन सिंह बनाम। आर. के. कुशवाह [दीपाक गुप्ता, जे.]

समूह-ए सेवाओं में स्थायी रूप से पदोन्नत समूह-बी अधिकारियों के लिए, उपरोक्त अधिकारियों के डी. आई. टी. एस. को महत्व देकर निर्धारित किया जाएगा।

उक्त नियम इस प्रकार हैः

" 334 समूह 'बी' के मामले में स्थायी रूप से समूह 'ए' सेवाओं के कनिष्ठ स्तर पर पदोन्नत अधिकारीः (1) XXX

XXX

XXX

(2) यदि एक ही तिथि पर दो या दो से अधिक अधिकारियों को पदोन्नत किया जाता है, तो रेलवे के भीतर उनकी अंतर-वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विधि का पालन किया जाएगाः (i) प्रत्येक रेलवे के अधिकारियों की सापेक्ष वरिष्ठता उस रेलवे के पैनल में उनके पद के क्रम में होगी।

((ii) उपरोक्त अधिकारियों के डी. आई. टी. एस. का निर्धारण दे कर किया जाएगा।

भार के आधार परः

(क) स्थायी वेतन पर प्रारंभिक वेतन द्वारा सूचित सेवा का वर्ष

समूह 'ए' सेवा में पदोन्नति; या

(बी) समूह 'बी' में लगातार सेवा के वर्षों की कुल संख्या का आधा, दोनों कार्यवाहक और स्थायी;

जो भी अधिक हो, अधिकतम 5 वर्षों के अधीन; बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित भारांक कुल से अधिक न हो।

समूह 'बी' में अधिकारी द्वारा प्रदान की गई गैर-आकस्मिक सेवा। ”

12. कैट से पहले, रेलवे द्वारा इसका आग्रह किया गया था और

हस्तक्षेपकर्ता ने कहा कि एन. आर. परमार का मामला (उपर्युक्त) लागू नहीं था क्योंकि पदोन्नति पाने वालों को वरिष्ठता के अतिरिक्त वर्षों के रूप में 5 वर्ष का महत्व दिया जाना था और इस संबंध में भारतीय को भी निर्देश दिया गया था।

प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस.) (वरिष्ठता के विनियम) नियम, 1987 जिसमें राज्य सिविल सेवा के अधिकारी जिन्हें आई. ए. एस. में शामिल किया जाता है, उन्हें भी उनके 'आवंटन का वर्ष' तय करते समय कुछ महत्व दिया जाता है। द.

कैट ने कहा कि आई. ए. एस. की योजना में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की तारीख के कारण होने वाली किसी भी अनियमितता या मनमानेपन को हटा दिया जाता है, जबकि रेलवे में डी. आई. टी. एस. के आधार पर वरिष्ठता और अंतर वरिष्ठता के संदर्भ में एक को पूरा करने में अनपेक्षित देरी होती है।

भर्ती प्रक्रिया या दूसरा और यह मानव हेरफेर के कारण भी हो सकता है। आदेश का संबंधित भाग दिनांकित 03.05.2016

सी. ए. टी. इस प्रकार हैः

दोनों धाराओं के संबंध में पूरा किया जाना इस मामले में अच्छा है। भी। नीति निर्माण कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन यह

उचित और तर्कसंगत होना चाहिए। चूंकि इसकी गुंजाइश स्पष्ट है। रेलवे नीति में मनमानेपन के लिए, हमें हस्तक्षेप करना होगा

न्यायिक समीक्षा। रेलवे को अपनी नीतियों को सुसंगत बनाना चाहिए

एन. आर. परमार के इस मौलिक दर्शन के साथ। 20. उत्तरदाताओं की कार्रवाई से हम एक और गंभीर विसंगति पाते हैं

यह है कि जबकि डी. आर. और पदोन्नति के लिए वर्णित अनुपात है 50: 50 , उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में लगभग तीन पदोन्नतियों को शामिल किया है

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, आवेदक ने दिखाया है कि वर्ष 2001 से 2007 तक 95 सीधी भर्तियों के विरुद्ध, 376 पदोन्नत

शामिल किए गए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने उचित ठहराया है

यह इस आधार पर कि सरकार के निर्देशों के अनुसार,

सरकारी निर्देश मूल सिद्धांत को नहीं बदल सकते हैं। डी. आर. और प्रोत्साहनों के बीच निम्न अनुपात। यदि घटाना था

उद्देश्य, यह डी. आर. के बीच के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जाना है

और अक्षुण्ण रूप से बढ़ावा देता है। .....

21 .

XXX

XXX

XXX

22. इस प्रकार, आई. आर. ई. एम. के प्रावधान अंतर से वरिष्ठता का निर्धारण करते हैं। डी. आई. टी. एस. पर आधारित स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण और मनमाने हैं। तदनुसार, हम

9/12.6.2015 दिनांकित आक्षेपित आदेशों को रद्द करें और अलग रखें

(अनुलग्नक ए/8) और तिथि 12.12.2014 (अनुलग्नक ए/4)

माननीय से उभरने वाले अंतर्निहित सिद्धांत के विपरीत

एन. आर. परमार मामले के साथ-साथ डी. ओ. पी. टी. में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

अलग-अलग सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक माना जाता है वरिष्ठता, डी. ओ. पी. टी. के साथ परामर्श किया जाना चाहिए। द.

चार महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त टिप्पणियाँ इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तिथि।

13. श्री प्रभात रंजन सिंह ने कैट के आदेश को चुनौती दी

2016 की रिट याचिका संख्या 10669 दायर करके पटना उच्च न्यायालय प्रभात रंजन सिंह बनाम।

आर. के. कुशवाह [दीपाक गुप्ता, जे.]

श्री गिरीश कुमार के साथ। इस याचिका को दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था और याचिका को खारिज करने के लिए मुख्य आधारों में से एक यह था कि डीओपीटी दिनांक 1 का परिपत्र रेलवे पर बाध्यकारी था। पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि आई. आर. ई. एम. प्रकृति में सांविधिक नहीं है और केवल दिशानिर्देशों का एक संहिताबद्ध समूह है। इसने आगे यह माना कि रेलवे की नियमों को तैयार करने की शक्ति भारतीय रेलवे स्थापना संहिता (संक्षेप में 'आई. आर. ई. सी.') का नियम 201, जो प्रकृति में वैधानिक है, केवल समूह-सी और समूह-डी पदों तक ही सीमित है। इसलिए, रेलवे द्वारा जारी ओ. एम. द्वारा बाध्य है

डीओपीटी। इस फैसले को श्री प्रभात रंजन सिंह ने चुनौती दी है।

14. यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि कैट द्वारा 03.05.2016 पर जारी निर्देश के अनुसार, रेलवे ने 'डीआईटीएस' के संदर्भ को हटाकर आईआरईएम खंड-1 के नियम 327 से 341 में संशोधन किया और

'आवंटन वर्ष' की अवधारणा पेश की गई। रेलवे के अनुसार, संशोधित नियमों के अनुसार सीधी भर्तियों और वरिष्ठता के बीच

रेलवे द्वारा कुछ पदोन्नति अधिकारियों को प्रत्यक्ष भर्तियों से ऊपर रखना कैट के आदेश का उल्लंघन था और उन्होंने तदनुसार अवमानना याचिका नं. 050/00070/17 कैट के समक्ष जिसे खारिज कर दिया गया था दिनांकित 02.04.2018 आदेश देखें। कैट ने कहा कि अपने आदेश में एन. आर. परमार के मामले (उपरोक्त) का संदर्भ 'डीआईटीएस' के कारण मनमानेपन को हटाने और इसे 'रिक्ति वर्ष/आवंटन वर्ष' की अवधारणा के अनुरूप लाने के बारे में था, जो समस्या को दूर करता है और संशोधन के बाद संशोधित नीति वरिष्ठता तय करने के लिए 'आवंटन/रिक्ति वर्ष' को तय करती है न कि 'डीआईटीएस' को। इसने यह भी अभिनिर्धारित किया कि चूंकि यह न्यायालय [2018] 13 एस. सी. आर. को जब्त कर चुका है।

मामले में, पक्षकार संशोधित नीति की वैधता के बारे में अपनी शिकायत हमारे सामने रख सकते हैं। अवमानना याचिका खारिज कर दी गई।

16. कैट के आदेश से व्यथित, सीधी भर्ती ने 2018 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 6489 (आर. के. कुशवाहा बनाम. संघ

भारत और अन्य का) अवमानना याचिका में पारित दिनांक 02.04.2018 के आदेश को रद्द करने/रद्द करने के लिए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष। दिनांक 03.05.2018 के आदेश के माध्यम से, हमने उपरोक्त रिट याचिका को इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है।

17. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है। हमसे पहले।

अपीलार्थी (प्रभात रंजन सिंह) के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया ने कहा कि आई. आर. ई. एम. खंड-1 के नियम 327 से 341 में संशोधन को देखते हुए याचिका को निष्फल बना दिया गया है। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि कैट और उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ कि डीओपीटी परिपत्र रेलवे पर बाध्यकारी हैं और पटना उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ कि आईआरईएम का कोई वैधानिक बल नहीं है, गलत हैं और उन्हें दरकिनार किया जा सकता है। दूसरी ओर, श्री

प्रत्यक्ष भर्तियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, श्री गुरु कृष्ण कुमार और श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि आई. आर. ई. एम., जो पदोन्नति पाने वालों को वरिष्ठता में महत्व देने का प्रावधान करता है, को कैट द्वारा अलग कर दिया गया था। इसलिए, पदोन्नति पाने वालों को महत्व देना जारी रखते हुए अवमानकर्ताओं ने कैट के आदेश की अवमानना की है। हमारे समक्ष यह भी पुरजोर आग्रह किया गया है कि पदोन्नत अधिकारियों को महत्व देने के लिए जो नियम प्रदान किए गए हैं, वे पूरी तरह से अवैध और मनमाने हैं। अपर सॉलिसिटर जनरल श्री मनिंदर सिंह ने कहा कि रेलवे को अपने नियम बनाने का अधिकार है। उनके अनुसार, आई. आर. ई. एम. भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति की सहमति से जारी किए जाते हैं और भारत के संविधान के तहत बनाए जाते हैं।

18. हमारे विचार में, निर्णय के लिए निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न होते हैं:

क्या रेलवे द्वारा बनाए गए नियमों से बंधा है

आई.

डीओपीटी या यह अपने स्वयं के नियम बना सकता है और क्या आईआरईएम के पास है

वैधानिक बल?

II क्या श्री आर. के. कुशवाहा, प्रत्यक्ष भर्ती ने नियमों को चुनौती दी थी, जिसमें वेटेज देने का प्रावधान है।

पदोन्नति अधिकारियों की वरिष्ठता?

प्रभात रंजन सिंह बनाम। आर. के. कुशवाह [दीपाक गुप्ता, जे.]

III क्या एन. आर. परमार के मामले (उपरोक्त) के संबंध में कैट के निष्कर्ष केवल मनमानेपन को हटाने तक सीमित थे

डी. आई. टी. एस. का सम्मान?

IV क्या दिनांक 05.03.2018 का ज्ञापन जारी करके

रेलवे ने नियमों में संशोधन/संशोधन 327-341 का उल्लंघन किया है

कैट द्वारा जारी आदेश?

आई.

क्या रेलवे द्वारा बनाए गए नियमों से बंधा है

डी. ओ. पी. टी. या यह अपने स्वयं के नियम बना सकता है और क्या

आई. आर. ई. एम. के पास वैधानिक बल है?

19. कैट ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे डीओपीटी परिपत्रों से बंधा हुआ है। पटना का उच्च न्यायालय और आगे बढ़ गया है और

इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि रेलवे के पास समूह ए और बी सेवाओं के लिए नियम बनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि आई. आर. ई. एम. नियम प्रकृति में वैधानिक नहीं हैं और केवल ऐसे दिशानिर्देश हैं जिनका कोई बाध्यकारी बल नहीं है। दूसरी ओर यू. ओ. आई. के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 के तहत बनाए गए भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम 1961 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इन नियमों के तहत विभिन्न विभागों को व्यवसाय आवंटित किया गया है। जहाँ तक डी. ओ. पी. टी. का संबंध है, प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः

" I. सुधार, प्रोत्साहन और नैतिकता सेवाएँ

1. .....

2. परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, अंतरिक्ष विभाग और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं के नियंत्रण में रेलवे सेवाओं और सेवाओं को छोड़कर केंद्रीय सेवाओं से संबंधित भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता से संबंधित सामान्य प्रश्न।

3 .

4. रेलवे के अलावा अन्य सेवाओं के संबंध में पदों के वर्गीकरण और राजपत्रित दर्जा देने के संबंध में सामान्य नीतिगत मामले

सेवाएँ।

5. भारत सरकार के लिए मंत्री कर्मचारियों की भर्ती
सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों को छोड़कर
रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग,
पूर्ववर्ती इलेक्ट्रानिक्स विभाग और स्पेस।
रेल विभाग के अधीन पदों को छोड़कर भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती विभाग
इलेक्ट्रानिक्स और अंतरिक्ष विभाग।

XXX

XXX

XXX

सेवा शर्तें

IV.

21. सामान्य प्रश्न (उन प्रश्नों के अलावा जिनके पास वित्तीय प्रश्न हैं)
अखिल भारतीय और संघ से संबंधित आचरण नियमों सहित
नियंत्रण में सेवाओं को छोड़कर सार्वजनिक सेवाएँ
रेल विभाग, परमाणु विभाग
ऊर्जा, पूर्ववर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और
(विभाग के नियंत्रण में आने वालों को छोड़कर रेलवे, परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती
इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अंतरिक्ष विभाग और विभाग के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मी
रक्षा अनुसंधान और विकास, जिनके पास एक
वित्तीय प्रभाव और जहाँ तक वे सामान्य सेवा के अंक बढ़ाते हैं
26 . 27. छंटनी और संशोधन के संबंध में सामान्य नीति
अधीन कर्मचारियों को छोड़कर अस्थायी सरकारी कर्मचारी
रेल विभाग "।

XXX

XXX

XXX

20. व्यवसाय आवंटन नियम, 1961 का अवलोकन, विशेष रूप से

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रेलवे प्रभात रंजन सिंह बनाम है।

आर. के. कुशवाह [दीपाक गुप्ता, जे.]

डी. ओ. पी. टी. को आवंटित व्यवसाय के दायरे से विशेष रूप से बाहर रखा गया है, चाहे वह पदों के वर्गीकरण के लिए हो, मंत्री कर्मचारियों की भर्ती, सिविल पदों पर गैर-भारतीयों की नियुक्ति, सेवा शर्तों का निर्धारण, जिसमें आचरण नियम, रेलवे की अस्थायी सेवा की छंटनी और संशोधन के बारे में सामान्य नीति आदि शामिल हैं, और इस तरह डी. ओ. पी. टी. रेलवे पर बाध्यकारी परिपत्र जारी नहीं कर सकता है। हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि डीओपीटी एक परिपत्र जारी करता है और विशेष रूप से रेलवे

परिपत्र को स्वीकार करता है या इसे लागू करता है, तो ऐसा परिपत्र लागू हो सकता है लेकिन यदि परिपत्र विशेष रूप से लागू नहीं किया जाता है तो जहां तक रेलवे और उसके कर्मचारियों का संबंध है, इसका कोई बल नहीं है।

21. इसी व्यवसाय आवंटन नियम, 1961 में रेल मंत्रालय को व्यवसाय आवंटित करते समय उसे सौदा करने की शक्ति दी गई है।

राजस्व और व्यय से संबंधित सभी मामलों के साथ। इसलिए, रेल मंत्रालय के पास अपने कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तें निर्धारित करने की शक्ति है।

22. रेल मंत्रालय के पास संहिताबद्ध नियमों का एक समूह है जिसे भारतीय रेलवे स्थापना संहिता (आई. आर. ई. सी.) के रूप में जाना जाता है। हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि जहां तक आई. आर. ई. सी. का संबंध है, वह संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत अधिसूचित है और वैधानिक प्रकृति का है। हालाँकि, प्रत्यक्ष भर्तियों की ओर से यह आग्रह किया गया है कि आई. आर. ई. एम. के पास कोई वैधानिक बल नहीं है। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि डी. ओ. पी. टी. ने स्वयं एक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16.02.2018 जारी किया है जिसमें कहा गया है कि रेल मंत्रालय के संबंध में भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता से संबंधित मामले डी. ओ. पी. टी. के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। हमें संदर्भित सभी दस्तावेजों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि व्यापार आवंटन नियम, 1961 के केवल पढ़ने से यह स्पष्ट है कि रेलवे के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित किया जाता है।

रेलवे द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जिसमें न केवल आई. आर. ई. सी. बल्कि आई. आर. ई. एम. भी शामिल होगा।

23. आई. आर. ई. एम. के संबंध में भी विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह आग्रह किया गया है कि ये नियम और विभिन्न संशोधन/संशोधन जारी किए जाएं।

समय-समय पर आई. आर. ई. एम. को भी इस प्रावधान के तहत जारी किया जाता है कि संविधान का अनुच्छेद 309 और इस तरह उनके पास वैधानिक बल है।

24. हमने आई. आर. ई. एम. के संबंध में विभिन्न संचारों का अध्ययन किया है और पाया है कि उन सभी ने उल्लेख किया है कि उनके पास है

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। हम विशेष रूप से केवल एक दस्तावेज़ का उल्लेख कर सकते हैं, अर्थात, [2018] 13 एस. सी. आर.

आई. आर. ई. एम. नियम 327 से 341 में संशोधन कैट द्वारा 03.05.2016 पर दिए गए निर्णय के अनुसरण में किया गया। संचार का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने आगे निर्णय लिया है कि पैनल वर्ष 2012-13 से प्रभावी समूह 'ए' जूनियर स्केल में शामिल प्रत्यक्ष भर्ती समूह 'ए' अधिकारियों और पदोन्नत समूह 'बी' अधिकारियों की अंतर-वरिष्ठता के लिए सिद्धांतों में संशोधन किया गया है।

अनुलग्नक-I के अनुसार संशोधित।

" "

इसमें कोई संदेह नहीं है कि आई. आर. ई. एम. Vol.1 के तहत नियम भी वैधानिक नियम हैं।

25. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि रेलवे डीओपीटी द्वारा जारी ज्ञापन से बाध्य नहीं है और

सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए अपने स्वयं के नियम बनाने के लिए सशक्त हैं

अपने कर्मचारियों के लिए। हमारा यह भी मानना है कि आई. आर. ई. एम. के पास वैधानिक बल है और इसे संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

II क्या श्री आर. के. कुशवाहा, सीधे भर्ती किए गए थे

उन नियमों को चुनौती दी, जो पदोन्नत अधिकारियों को वरिष्ठता में महत्व देने का प्रावधान करते हैं? 26. जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, हम ध्यान दे सकते हैं कि हम पहले ही 2016 के ओ. ए. No.460 के प्रार्थना खंड को उद्धृत कर चुके हैं।

कैट से पहले। उक्त ओ. ए. में पदोन्नति पाने वालों को महत्व देने की नीति को चुनौती देने की एक फुसफुसाहट भी नहीं है। वास्तव में यह मुद्दा कैट के समक्ष नहीं उठाया गया था। सी. ए. टी. के समक्ष प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा स्थापित मामला यह था कि चूंकि भर्ती के लिए मांग 23.10.2007 पर जारी की गई थी, इसलिए एन. आर. परमार के मामले (ऊपर) में डी. ओ. पी. टी. ओ. एम. दिनांक 04.03.2014 के साथ इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को देखते हुए उन्हें उस तारीख से वरिष्ठता दी जानी चाहिए। सीधी भर्ती की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरु कृष्ण कुमार ने आग्रह किया है कि प्रार्थना 8.3 जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि आई. आर. ई. एम. खंड में शुद्धिपत्र/संशोधन/सुधार पर्ची जारी की जाए-I स्वयं ही रद्द करने की प्रार्थना है। उक्त आई. आर. ई. एम. हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

यदि प्रत्यक्ष प्रभात रंजन सिंह बनाम। आर. के. कुशवाह [दीपाक गुप्ता, जे.]

भर्ती को महत्व देने की नीति को चुनौती देना चाहता था

तब चुनौती का आधार मूल आवेदन में बनाया जाना था और इस तरह के महत्व देने वाले नियम को विशेष रूप से प्रार्थना खंड में चुनौती दी जानी थी। जिन पदोन्नतियों को प्रभावित होने की संभावना थी, उन्हें उत्तरदाताओं के रूप में रखा जाना चाहिए था। इस तरह की चुनौती को केवल यह आरोप लगाकर पिछले दरवाजे से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आई. आर. ई. एम. में शुद्धिपत्र/संशोधन/सुधार जारी किए जाएं। न तो शुद्धिपत्र, न ही संशोधन या सुधारों के परिणामस्वरूप महत्व देने वाले नियम को रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि प्रार्थना 8.3 को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो प्रार्थना की जाती है कि आई. आर. ई. एम. को डी. ओ. पी. टी. ओ. एम. दिनांक 04.03.2014 के अनुरूप लाने के लिए सुधार किया जाए, जो एन. आर. परमार के मामले (ऊपर) में बनाए गए कानून के सिद्धांत पर आधारित है।

27. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि हमारे सामने श्री आर. के. कुशवाहा द्वारा दायर मूल आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें मुख्य मामला सेट किया गया है।

ऊपर कहा गया था कि एन. आर. परमार के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए रिक्तियों को भरने के लिए अनुरोध भेजने की तारीख वह तारीख है जिससे सीधी भर्तियों को उनकी वरिष्ठता दी जानी चाहिए। श्री कुशवाहा द्वारा पैरा 4.3 में निम्नलिखित कथन किए गए हैं। उनके ओ. ए. प्रासंगिक हैंः

आई. आर. एस. एस. ई. की समूह-ए सेवा में कार्यरत, कई समूह-बी अधिकारियों यानी संख्या में 87 को पैनल वर्ष 2012-13 और 2013-14 डब्ल्यू. ई. एफ. <आई. डी. 1 के लिए आई. आर. एस. एस. ई. की समूह-ए सेवा में पदोन्नत/शामिल किया गया है, इसलिए ऐसे पदोन्नति अधिकारी 05 वर्ष का वेटेज देने के बाद वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जबकि आवेदक सीधे आई. डी. 3 है। भर्तीकर्ता भारत संघ बनाम एन. आर. के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को देखते हुए समूह-ए सेवा के रिक्त पदों को भरने के लिए अनुरोध की तारीख से वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

परमार, जिसमें प्रत्यक्ष भर्तीकर्ता और प्रोमोटियों के बीच वरिष्ठता का मुद्दा 27.11.2012 पर सुलझा लिया गया है, जिसके खिलाफ भारत संघ ने सिविल समीक्षा भी दायर की है और इसे 07.08.2013 पर खारिज कर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. यह किसी भी तरह से संदेह नहीं छोड़ता है कि द्वारा स्थापित एकमात्र मामला

प्रत्यक्ष भर्ती यह थी कि वह 23.10.2007 से वरिष्ठता का हकदार था, जिस तारीख को प्रत्यक्ष भर्ती पदों को भरने के लिए मांग भेजी गई थी और 05 साल का उचित महत्व दिए जाने के बाद पदोन्नत व्यक्ति वरिष्ठता डब्ल्यू. ई. एफ. 08.05.2009 के हकदार थे। इसलिए, अब वह यह आग्रह नहीं कर सकते कि उन्होंने वेटेज देने के प्रावधान वाले नियम को चुनौती दी थी प्रचारकों के लिए।

III क्या एन. आर. के संबंध में कैट के निष्कर्ष।

परमार का मामला (उपरोक्त) केवल 'डीआईटीएस' के संबंध में मनमानेपन को हटाने तक सीमित था?

29. इस मुद्दे से निपटने से पहले हम ध्यान दे सकते हैं कि हम प्रत्यक्ष द्वारा दी जाने वाली व्याख्या से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं।

एन. आर. परमार के मामले (ऊपर) में दिए गए निर्णय के लिए भर्ती, कि वे मांग की तारीख से वरिष्ठता के हकदार हैं। एन. आर. परमार के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि उस मामले में यह न्यायालय उन स्थितियों से निपट रहा था जहां प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति की प्रक्रिया में अत्यधिक लंबा समय लगता है। तत्कालीन मौजूदा नियमों के अनुसार, इस प्रकार नियुक्त/पदोन्नत व्यक्तियों को उनके शामिल होने की तारीख से वरिष्ठता मिलेगी। इस न्यायालय ने पाया कि यह

नियुक्ति की आकस्मिक तिथि के कारण मनमानी हो सकती है। कुछ मामलों में, एक विशेष तरीके से भर्ती की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो जाती थी, लेकिन बाहरी कारणों से, एक तरीके से चयन दूसरे तरीके से बहुत तेज और धीमा होता था। इसलिए, इस विसंगति को समाप्त करने और मनमानेपन को कम करने के लिए, इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी विशेष भर्ती प्रक्रिया द्वारा पदों को भरने के लिए मांग की तारीख को उस वर्ष के रूप में लिया जा सकता है जिसमें व्यक्तियों को वरिष्ठता दी जा सकती है।

उस प्रक्रिया के तहत भर्ती किया गया। हालाँकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि यह केवल तभी लागू होगा जब भर्ती वर्ष वर्ष के समान हो।

रिक्तियों का। यह स्पष्ट है कि न तो पदोन्नतों और न ही प्रत्यक्ष भर्तियों को उस वर्ष से वरिष्ठता दी जा सकती है जब ऐसी रिक्तियां मौजूद भी नहीं हैं। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि प्रशासनिक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया रिक्ति वर्ष के दौरान ही शुरू की जानी चाहिए।

30. इस संबंध में हम एन. आर. परमार (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ दे सकते हैं:

" 34.1 . यदि भर्ती की प्रक्रिया भर्ती वर्ष (जिसमें रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं) के दौरान ही शुरू की गई है, तो प्रभात रंजन सिंह बनाम।

आर. के. कुशवाह [दीपाक गुप्ता, जे.]

यदि उक्त भर्ती के लिए परीक्षा बाद के वर्ष में आयोजित की जाती है, और परिणाम एक साल बाद (उस वर्ष की तुलना में जिसमें परीक्षा आयोजित की गई थी) घोषित किया जाता है, और चयनित उम्मीदवार एक और बाद के वर्ष में शामिल हो जाते हैं (उस वर्ष की तुलना में जिसमें परिणाम घोषित किया गया था), तो चयनित उम्मीदवार भर्ती वर्ष (जिसमें रिक्तियों की मांग की गई थी) के संदर्भ में वरिष्ठता सौंपे जाने के हकदार होंगे। उपरोक्त निष्कर्ष (दिनांक 2-2-2000 में व्यक्त) के लिए तर्क और तर्क यह है कि यदि सीधी भर्ती की प्रक्रिया भर्ती वर्ष में ही शुरू की जाती है, तो चयनित उम्मीदवार (ओं) को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया को पूरा करने में प्रशासनिक विलंब।

34.2 . "भर्ती के लिए कार्रवाई की शुरुआत", और "भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत" शब्दों का अर्थ समझाया गया था, भर्ती
प्राधिकरण को मांग भेजने की तारीख।

31. वर्तमान मामले में हालांकि मांग वर्ष 2007 में भेजी गई थी, वर्ष 2009 से संबंधित रिक्तियों और इसलिए, कैट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि सीधी भर्तियां नहीं की गई थीं।

वर्ष 2007 से पदोन्नति के हकदार। कैट ने केवल आदेश दिया कि 'डीआईटीएस' के निर्धारण के कारण उत्पन्न होने वाली मनमानेपन को प्रासंगिक मानदंड के रूप में 'आवंटन का वर्ष' निर्धारित करके हटा दिया जाए। IV क्या रेलवे ने दिनांक 05.03.2018 संशोधन/नियमों 327-341 में संशोधन करके कैट द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किया है?

32. हमने इसके ऊपर कैट के आदेश का हवाला दिया है और कैट ने जो आदेश दिया था वह यह था कि आईआरईएम अंतर से वरिष्ठता का निर्धारण करता है

डी. आई. टी. एस. पर आधारित स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण और मनमाना था। दिनांकित 09.06.2015 और 12.12.2014 आदेश को रद्द कर दिया गया और एन. आर. परमार के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करते हुए खारिज कर दिया गया।

डी. ओ. पी. टी. दिशानिर्देश। जैसा कि ऊपर कहा गया है, नियम 334 को कोई चुनौती नहीं दी गई थी, जो पदोन्नति पाने वालों को महत्व देने का प्रावधान करता है। इस नियम को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी और कैट ने इससे बिल्कुल भी निपटा नहीं है।

यह नियम। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि ए. के. निगम बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा एक समान नियम को वैध ठहराया गया है। सुनील मिश्रा 2. यह फैसला लिया गया है

कैट द्वारा नोट किया गया और फिर भी कैट ने इस फैसले पर चर्चा नहीं की। यह स्पष्ट है कि कैट नियम 334 की वैधता में नहीं गया। कैट ने जो कुछ भी माना वह यह था कि 'डीआईटीएस' के बजाय निर्धारक कारक होने के कारण

2 (1994) सप.

'डीआईटीएस' के कारण मनमानेपन को हटाना और इसे रिक्ति वर्ष/आवंटन वर्ष की अवधारणा के अनुरूप लाना जो समस्या को दूर करता है। इस प्रकार कैट ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने इस मुद्दे पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया था कि क्या पदोन्नति पाने वाले वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए 5 साल की सेवा का महत्व दिए जाने के हकदार नहीं थे। यह प्रश्न न्यायाधिकरण के समक्ष कभी नहीं उठा और इस प्रकार रेलवे की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए निर्धारक कारक के रूप में 'डी. आई. टी. एस.' को हटाकर और वरिष्ठता निर्धारित करने के मानदंड के रूप में 'आवंटन वर्ष' को लागू करके नियमों को सी. ए. टी. के निर्णय के अनुरूप लाने के लिए कार्रवाई को किसी भी तरह से उल्लंघनकारी या सी. ए. टी. के आदेश के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में, उक्त आदेश पूरी तरह से कैट के आदेश के अनुरूप है। 33. हम यह जोड़ सकते हैं कि सीधी भर्तियों की ओर से लंबे तर्कों को संबोधित किया गया है जिसमें तर्क दिया गया है कि नियम जो प्रदान करता है कि

पदोन्नति पाने वालों को महत्व देना मनमाना है और इस संबंध में पी. सुधाकर राव और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है। बनाम। यू. गोविंदा राव और अन्य 3 और यह आग्रह किया जाता है कि इस निर्णय को देखते हुए ए. के. निगम के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय अब अच्छा कानून नहीं है। दूसरी ओर दोनों विद्वान एएसजी और अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया है कि ए. के. निगम का मामला (उपरोक्त) अभी भी मैदान में है क्योंकि पी. सुधाकर राव का मामला (उपरोक्त) एक तथ्य परिदृश्य में तय किया गया मामला था जहां मंजूरी देने का कोई प्रावधान नहीं था।

प्रत्यक्ष भर्तियों को उनके शामिल होने पर देय परिलब्धि और यह भी इस महत्व को देने के लिए विचार में लिया जाने वाला एक कारक है। हम इन प्रश्नों में नहीं जा रहे हैं। हम स्पष्ट रूप से मान चुके हैं कि

3 (2013) 8 एससीसी 693 प्रभात रंजन सिंह। वी. आर. के. कुशवाह [दीपाक गुप्ता, जे.]

मूल आवेदन में नियम 334 को कोई चुनौती नहीं दी गई थी और इस तरह की चुनौती को इस न्यायालय में अपील का बचाव करते समय अवमानना कार्यवाही में या प्रत्यर्थियों की ओर से स्वीकार या स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने कोई राय व्यक्त नहीं की है।

इस मुद्दे पर दलों के प्रतिद्वंद्वी विवादों पर।

प्रत्यक्ष भर्तियों ने इन नियमों को चुनौती दी है। इसलिए हम पार्टियों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों में नहीं जा रहे हैं। 35. हम यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील का निपटारा करते हैं कि कैट ने केवल निर्देश दिया था कि 'डीआईटीएस' के बजाय, 'आवंटन का वर्ष' अंतर-वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए निर्धारक कारक/मानदंड होना चाहिए। हम आगे मानते हैं कि आईआरईएम खंड के नियम 334 को न तो कोई चुनौती दी गई थी। 1 मूल आवेदन में और न ही कैट इस मुद्दे में गया। हम, तदनुसार, सीधे भर्ती श्री आर. के. कुशवाहा द्वारा दायर अवमानना याचिका को खारिज करते हुए कैट, पटना पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को बरकरार रखते हैं। नतीजतन, हस्तांतरित मामला

सं. 52/2018 अर्थात पटना उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित याचिका सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 6489/2018 को खारिज कर दिया जाता है।

36. हस्तक्षेप/अभियोग के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं।

37. अवमानना याचिकाओं और सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाएगा।

एसएलपी (सी) एनओ (एस)। 4144 2018 का

38. यह याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की प्रधान पीठ द्वारा 2018 की रिट याचिका संख्या 299 में पारित अंतरिम आदेश 29.01.2018 के खिलाफ निर्देशित है। याचिका को अंततः उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से निपटाया गया है और इसलिए, इस याचिका को निष्फल बना दिया गया है और इस तरह से निपटाया गया है।

अंकित ज्ञान

माम

लों का निपटारा किया गया।